में दिनांक 3/1/21 को पेश हो।

3/18/21 पत्रावली पुनरावलोकन योग्य है जो अभिभाषक अभिभाषक नगरिया ने पेश की। वादिनी स्वयं द्वारा ~~दायर~~ फर्द अहकाम पर वाद वापस लिये जाने का निवेदन किया गया पत्रावली का अवलोकन किया। वादिनी का निवेदन मद्देनजर अवलोकन से सुनना उचित। वादिनी स्वयं अनुपस्थित वाद में आगे कार्यवाही नहीं चाहने से वादिनी का निवेदन स्वीकार किया जाता है। वादिनी का वाद अन्तर्गत धारा 53 RCA 1955 के विरुद्ध में संस्थित की गयी है। पत्रावली की गणना निर्णीत इन्दराज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार भेजी जावे। निर्णय खुले मजमे अवगत से सुनाया गया।

(नीता वसीटा)
सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
राशमी

जमानी में बटवाड़ा का वाद आगे नहीं चलाना चाहती है वाद को खारिज किया जावे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Neeta Vaseeta
Date: 2022.04.26 15:35:28 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner